संख्या-13/2018/404जेएल/22-3-18-200(1)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-7494/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 27-02-2018 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 67 सिद्धदोष बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15(पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से एक साथ मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

II. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

III. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

IV. गृह अवकाश उन्ही बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

V. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

VI. बंदी के पास रहने के लिए घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाले धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।

VII. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

VIII. **बंदियों को अनिवार्य रूप से एक साथ गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। ऐसा न करने पर शासन के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा।**

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हों, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जांय।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-13/2018/404जेएल(1)/22-3-18-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-7494/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 27-02-2018 के संदर्भ में बंदियों की सूची सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:13/2018/404जेएल/22-3-18-200(1)/2018, दिनांक: 20 मार्च, 2018 का संलग्नक

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	सालिकराम पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	बहराइच	13571
2	छोटेलाल पुत्र श्री परमेश्वर	श्रावस्ती	13601
3	राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री कृष्णदत्त पाण्डेय	गोण्डा	13603
4	खुन्नू पुत्र श्री मोल्हे	श्रावस्ती	13697
5	लालजी पुत्र श्री बद्री	गोरखपुर	16073
6	फहीमुद्दीन उर्फ फैमुद्दीन पुत्र श्री सगीर	मुजफ्फरनगर	14494
7	राधे पुत्र श्री श्री गब्बू केवट	गोरखपुर	16072
8	रामदयाल पुत्र श्री मंगा	हरदोई	14528
9	राकेश पुत्र श्री किशनवीर सिंह	बागपत	14797
10	डा0 हीरालाल पुत्र स्व0 नथुनी प्रसाद	बलिया	14886
11	परविन्दर पुत्र श्री कुंवरपाल	मुजफ्फरनगर	14899
12	रामप्रताप पुत्र श्री मोहन यादव	देवरिया	14934
13	अशर्फी पुत्र श्री सीताराम	उन्नाव	14963
14	सफीजान पुत्र श्री शमशाद	हरदोई	16071
15	रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री गेंदालाल वर्मा	बाराबंकी	14987
16	राकेश पुत्र श्री रामचन्द्र	हाथरस	14897
17	सर्वेश सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह	हरदोई	15203
18	भोला पुत्र श्री मुमताज	बरेली	15479
19	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शारदा सिंह	कुशीनगर	15588
20	मकसूद उर्फ टैनी पुत्र श्री कल्लन शाह	बरेली	15599
21	नरेन्द्र पुत्र श्री ब्रहम सिंह	बुलन्दशहर	14900
22	हितेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	बिजनौर	14919
23	छोटे पुत्र श्री बद्री प्रसाद साहू	बांदा	15983
24	दद्दन यादव पुत्र श्री चन्द्रिका यादव	देवरिया	16098
25	अशोक कुमार पुत्र श्री रामदयाल राम	गाजीपुर	17028
26	शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री झब्बर सिंह	बहराइच	17031
27	रजनीश कुमार दुबे पुत्र श्री रामकिशोर	अम्बेडकरनगर	15006
28	ब्रजेश पुत्र श्री कमला गौड़	देवरिया	15149
29	विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह	हरदोई	15216
30	छुनान सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह	उन्नाव	15542
31	रविन्द्र पुत्र श्री गिरराज सिंह	हापुड़	17079
32	सुभाष पुत्र श्री रामबाबू	अलीगढ़	17081
33	टीकाराम पुत्र श्री सुखलाल	पीलीभीत	17085
34	नवनीत उर्फ भूरे पुत्र श्री चन्द्र प्रभाकर शर्मा	पीलीभीत	17086
35	मनोज कुमार पुत्र श्री राजनाथ	गाजीपुर	17113
36	लल्लन सिंह पुत्र श्री रामकिशोर	देवरिया	17115
37	रत्नेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री प्रभुनाथ पाण्डेय	गोरखपुर	17128

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

38	ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त	गोरखपुर	17136
39	ओमकार पुत्र श्री वासी जाटव	गाजियाबाद	16076
40	अशोक कुमार पुत्र श्री सुदेव	पीलीभीत	14257
41	फहीम खॉ पुत्र श्री रमजान खॉ	फतेहपुर	15053
42	रामस्वरूप पुत्र श्री डालचन्द	पीलीभीत	15266
43	तुलसीराम पुत्र श्री नोखेलाल	पीलीभीत	15268
44	मायाराम पुत्र श्री सन्तराम	सीतापुर	15480
45	रशीद अहमद पुत्र श्री अमीरूद्दीन	सीतापुर	15481
46	पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र	पीलीभीत	15546
47	लालाराम पुत्र श्री कन्धईलाल	पीलीभीत	15594
48	रामस्वरूप पुत्र श्री कन्धईलाल	पीलीभीत	15595
49	रामभरोसे पुत्र श्री रामप्रसाद	पीलीभीत	15596
50	सूर्यप्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद	लखनऊ/सीतापुर	15602
51	अशोक कुमार पुत्र श्री सूर्यप्रसाद	सीतापुर	15259
52	उमाशंकर पुत्र श्री नोखेलाल	पीलीभीत	15970
53	राजबहादुर पुत्र श्री रामगोविन्द	गोरखपुर	15971
54	जीत बहादुर उर्फ ब्रजराज पुत्र श्री रामजी	गोरखपुर	16012
55	बालजीत पुत्र श्री जागनलाल	पीलीभीत	16024
56	बरम सिंह उर्फ ब्रहम सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह	बिजनौर	16027
57	कालीचरन पुत्र श्री रामबहादुर	पीलीभीत	17064
58	भगीरथ पुत्र श्री मनोहरलाल	पीलीभीत	17065
59	जागनलाल पुत्र श्री मनोहरलाल उर्फ रामचरन	पीलीभीत	17066
60	कुर्री उर्फ किरन पुत्र श्री करन सिंह	बुलन्दशहर	17082
61	गुड्डू उर्फ आशीष कुमार पुत्र श्री शिवशंकर लाल	सीतापुर	17090
62	बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल	पीलीभीत	17093
63	नन्हेंलाल पुत्र श्री रामभरोसे	पीलीभीत	17094
64	भगवत स्वरूप पुत्र श्री नरायनलाल	पीलीभीत	17095
65	कुंवरसेन पुत्र श्री कन्धईलाल	पीलीभीत	17097
66	लालमन पुत्र श्री नरायनलाल	पीलीभीत	17098
67	श्रीकृष्ण पुत्र श्री छेदालाल	पीलीभीत	17099

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।